प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[19/3/2020] परिशिष्ट - 2 -

प्रश्न सं. [क्र. 79]

परिशिष्ट - 1

अतिआवश्यक / समयसीमा

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल : dme12001@yahoo.com
दूरभाष क्र. 0755–2550186
वेबसाईट: www.medicaleducation.mp.gov.in
फैक्स : 0755–2578844

क्रमांक 3226 / 4 / प्रवेश / संचिशि / 2019 भोपाल दिनांक 07 / 09 / 2019

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर।

विषय:– पी0जी बंधपत्र से संबंधित दायर याचिकाओं पर पारित निर्णय के संबंध में ।

--000--

विषयांतर्गत पी.जी बाण्ड एवं मूल अभिलेख वापसी के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय मे दायर एकजाई याचिकाओ पर पारित आदेश दिनांक 28.8.2019 में माननीय न्यायालय द्वारा बाण्ड की शर्त को पूरा नही करने वाले चिकित्सकों के प्रकरणों को case to case के आधार पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतः आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस संबंध मे अधिष्ठाता की अध्यक्षता मे कमेटी का गठन कर बाण्ड की शर्त को पूरा नही करने वाले चिकित्सकों के संबंध में उनके द्वारा पक्ष प्रस्तुत करने तथा कमेटी द्वारा कार्यवाही निम्नानुसार की जावें -

1. बाण्ड की शर्तो को पूरा नही करने वाले चिकित्सकों को कारण बताओ सूचना पत्र एक सप्ताह में जारी किया जाए।
2. कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए चिकित्सक से प्रति उत्तर 10 दिवस में प्राप्त किए जायें ।
3. बाण्ड की शर्तो का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों को 20 दिवस तक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / प्रवेश / संचिशि / 2019 भोपाल, दिनांक / 09 / 2019

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, सांची कॉम्पलेक्स, बोर्ड ऑफिस भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Student Sec

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप संचालक
चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश

Scanned by CamScanner

V.S. कि 3.5. 79

परिशिष्ट – 3

परिशिष्ट – 2

19/11/19

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786
Fax : (0755) 2551568
Email: registrarmpmc@gmail.com

MPMC

F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
www.mpmedicalcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी / बंधपत्र / 2019 / 3719 भोपाल, दिनांक 15/11/19

अधिष्ठाता गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
आवक क्रमांक 27833
दिनांक 21-11-19

प्रति,

समस्त अधिष्ठाता,
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल / इंदौर / सागर / जबलपुर / रीवा / ग्वालियर
मध्यप्रदेश ।

विषय:– बॉण्डेड चिकित्सा छात्रों पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में।
सन्दर्भ:–प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बैठक दिनांक 14.11.2019 में प्रदत्त निर्देश।

विषयान्तर्गत प्रकरण में ऐसे समस्त बॉण्डेड चिकित्सा छात्र जिनके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम में उल्लेखित बंधपत्र की शर्तों का पालन नहीं किया गया है के संबंध में अधिष्ठाता स्तर पर जाँच एवं कार्यवाही हेतु हाई पावर कमेटी गठित की गयी है।

इस संबंध में कृपया ऐसे समस्त बॉण्डेड चिकित्सा छात्रों की यूजी, पीजी(डिप्लोमा), पीजी(डिग्री) की पृथक–पृथक सूची, पंजीयन निलंबन की केस–टु–केस अनुशंसा संलग्न कर, निम्न प्रारूप में प्रेषित करें जिन्होंने आपके नोटिस जारी करने के उपरांत न ही उसका प्रत्युत्तर दिया, न ही बॉण्ड अवधि पूर्ण करनें संबंधी कोई जानकारी दी और न ही बॉण्ड राशि जमा की –

चिकित्सा महाविद्यालय..........................

यू0जी0

सरल कमांक	प्रवेश वर्ष	बॉण्ड प्रारंभ वर्ष	नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता	वर्तमान पता	मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पता	म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल का स्थायी पंजीयन कमांक	पाठ्यक्रम	निष्पादित बंधपत्र अनुसार चिकित्सा सेवा की अवधि	निष्पादित बंधपत्र अनुसार बॉण्ड की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चिकित्सा महाविद्यालय..........................

पी0जी0 (डिप्लोमा)

सरल कमांक	प्रवेश वर्ष	बॉण्ड प्रारंभ वर्ष	नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता	वर्तमान पता	मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पता	म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल का स्थायी पंजीयन कमांक	पाठ्यक्रम	निष्पादित बंधपत्र अनुसार चिकित्सा सेवा की अवधि	निष्पादित बंधपत्र अनुसार बॉण्ड की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप संचालक
चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश

निरंतर..........2

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्
MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL
(Estb. on 1-4-1996 U\s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786
Fax : (0755) 2551568
Email: registrarmpmc@gmail.com

F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
www.mpmedicalcouncil.net

2M

चिकित्सा महाविद्यालय..

पी0जी0 (डिग्री)

सरल क्रमांक	प्रवेश वर्ष	बॉण्ड प्रारंभ वर्ष	नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता	वर्तमान पता	मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पता	म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल का स्थायी पंजीयन क्रमांक	पाठ्यक्रम	निष्पादित बंधपत्र अनुसार चिकित्सा सेवा की अवधि	निष्पादित बंधपत्र अनुसार बॉण्ड की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उपरोक्त जानकारी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (Excel Sheet) में पत्र प्राप्ति से 03 दिवस की समयावधि में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि छात्रों के पंजीयन निलंबन संबंधी कार्यवाही की जा सके।

(डॉ. सुबोध मिश्रा)
एम.डी.
रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

पृ0 क्रमांक एमपीएमसी/बंधपत्र/2019/9720-22 भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

(डॉ. सुबोध मिश्रा)
एम.डी.
रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल